न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–15/20

1. कृष्णलाल पुत्र राजाराम जाति सोनार निवासी चक 1–2 एसएलएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर ।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री मखनसिंह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट

आदेश दिनांक :– 02.03.2020

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है। प्रार्थी के नाम से चक 1–2 एसएलएम का मुरब्बा नं0 18/61 में कुल 25 बीघा भूमि विशेष आंवटन हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय सहवन से कृष्णलाल पुत्र राणाराम दर्ज हो गया जो कि गलत है। प्रार्थी ने पिता का नाम राणाराम की जगह राजाराम मुताबिक आंवटन आदेश के दुरस्त करने की इस्तदुवा चाही है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । साक्ष्य प्रार्थी लिये जाकर एवं तहसीलदार खाजूवाला से जवाब/रिपोर्ट ली गई एवं बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुतोष चाहा।

न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया और प्रार्थी द्वारा पासबुक प्रति पेश की गई साथ ही चालान प्रति तथा धरोहर राशी का चालान सं0 0096 दिनांक 13/10/2000 पेश की गई तथा चालान 35% राशी रसीद सं0 0073 दिनांक 29/11/2000 पेश की गई जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम राजाराम ही लिखा गया है तथा आंवटन आदेश में भी राजाराम ही दर्ज है लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पिता का नाम राणाराम कर दिया जो केवल लिपिकीय त्रुटि है जिसे दुरस्त किया जा सकता है । साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिचयपत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूलनिवास में भी प्रार्थी का नाम कृष्णलाल पुत्र राजाराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि प्रार्थी कृष्णलाल के पिता का नाम राणाराम के स्थान पर राजाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **02.03.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2020.05.18 12:34:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: